IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में वस्तु एवं सेवा कर : एक अध्ययन

दीपक कुमार
नेट, यू० जी० सी०
एम० कॉम (वाणिज्य)
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

शोध सार

भारत सरकार ने इस वस्तु और सेवा कर को 30 जून 2017 मध्यरात्रि का संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में शुभारंभ किया गया। वस्तु और सेवा कर आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को कम करने हेतु एकल कर है। कम्पनियां और व्यवसाय सम्बंधित अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, वैट, मनोरंजन कर, सेवाकर, लक्जरी कर का भुगतान करते है जी एस टी लागू होने से इन सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अलग–अलग सेवाओं के बदले में अलग–अलग कर लगाये जाते है जैसे– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि। जी० एस० टी० एक दोहरी कर–प्रणाली है जिसमें केन्द्र एवं राज्य द्वारा समान कर आधार पर करारोपण होता है। देश में जी० एस० टी० लागू होने के बाद एक नई व्यवस्था चलने लगा है। जहाँ एक तरफ देश में जी० एस० टी० के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं तो दूसरी ओर कहीं व्यापारी विरोध, प्रदर्शन, भूख हड़ताल व बाजार भी बंद कर रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर ने उत्पादकों पर बोझ कम कर दिया है साथ ही अधिक उत्पादन के माध्यम से विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। वैट कर संरचना, असंख्य कर खंडों के पम्प निर्माताओं कों उनकी क्षमता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

कुंजी शब्द : वस्तु और सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उत्पादन

भूमिका

वस्तु और सेवा कर आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की कीमतों को कम करने हेतु एकल कर है। भारत सरकार ने इस वस्तु और सेवा कर को 30 जून 2017 मध्यरात्रि का संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में शुभारंभ किया गया। कम्पनियां और व्यवसाय सम्बंधित अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, वैट, मनोरंजन कर, सेवाकर, लक्जरी कर का भुगतान करते है जी एस टी लागू होने से इन सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। केवल एक ही कर है जिसकी निगरानी भारत

सरकार कर रही है और जो खपत के अंतिम बिन्दु पर होगा न कि उत्पादन स्तर पर। वर्ष 1986 में भारत देश में अप्रत्यक्ष कराधान के पहले चरण में केन्द्रीय स्तर पर संशोधित मूल्यवर्धित कर वैट शुरु किया गया था। भारत सरकार ने 2007 में यह स्पष्ट किया था कि वैट को आगे और सुधार करने की जरुरत है। 1 अप्रैल 2010 तक देश में एक लक्ष्य आधारित वस्तु एवं सेवा कर (ळण्ण्ज्ण्) शुरु करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से उसकी रुप रेखा तैयार करने के जिए कहा गया था। अधिकार प्राप्त समिति ने इस पर विचार विमर्श किया और फिर अप्रैल 2008 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर का मॉडल तैयार किया गया। वस्तु एवं सेवा कर बिल 3 अगस्त 2016 पास हुआ और वर्तमान भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2017 से 16 सितम्बर 2017 के बीच प्रभावी हुआ है। देश के प्रत्येक नागरिक का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योगदान देता है। देश में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले नागरिकों को अपनी आय का कुछ हिस्सा सेवा के बदले देना होता है जिसे कर (जंग) कहा जाता है कर दो प्रकार का होता है– प्रथम प्रत्यक्ष कर व द्वितीय अप्रत्यक्ष कर ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई अलग–अलग सेवाओं के बदले में अलग–अलग कर लगाये जाते है जैसे– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी कुछ कर लगाये जाते है। जैसे– बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, प्रवेश कर आदि ये सभी वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते है उनका भार अंतिम उपभोगताओं पर पड़ता है अन्तिम उपभोक्ता तो अपना कर को अदा कर देता है लेकिन वह कर सरकार तक पूर्णतयाः नहीं पहुंच पाता जिससे कर चोरी होती है हमारे देश में कर का 75 प्रतिशत भाग भी सरकार के पास नहीं पहुंच पाता इसका मुख्य कारण अलग–अलग प्रकार के लगने वाले कर है जो कर अपवंचन को बढ़ावा देते है और साथ ही वस्तु की कीमत पर भी असर डालते है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत आलेख के निम्न उद्देश्य है–

1. देश के विकास में, जीएसटी के योगदान का अध्ययन करना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावों का अध्ययन करना।
3. देश में जीएसटी लागू होने से आने वाली चुनौतियाँ का अध्ययन करना।
4. देश में जीएसटी लागू होने से सम्भावनाओं का अध्ययन करना।
5. देश में जीएसटी क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदम तथा कार्य योजना का अध्ययन करना।

साहित्य समीक्षा

डॉ0 आर0 वसंतगोपाल 2011, ''भारत में जी एस टी : अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ी छलांग'' में बताया कि भारत में वर्तमान जटिल कर प्रणाली से निर्बाध (निजात) जी एस टी पर स्विचिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। तत्पशचात् निशिया गुप्ता 2014, ने अपने शोध अध्ययन में उल्लेख किया कि भारतीय ढांचे में जी एस टी का कार्यान्वयन होगा। वैट सिस्टम अप्रभावित वाणिज्यिक लाभों की ओर ले जाता है और अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास में मदद करेगा जी एस टी उपभोग, व्यापार, कृषि और इसके लिए सामूहिक लाभ की संभावना में वृद्धि कर सकता है। इसी क्रम में जयप्रकाश 2014, अपने शोध अध्ययन ने उल्लेख किया है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जी एस टी से कर, व्यापार, कृषि और उपभोक्ताओं को इनपुट टैक्स सेट–ऑफ और सर्विस टैक्स की अधिक व्यापक कवरेज के जरिये ज्यादा राहत मिल जायेगी। जी एस टी में कई करों को कम करना और सी एस टी से बाहर निकलने का काम करना। उद्योग और व्यापार के उत्तर भी वास्तव में उत्साहजनक रहे हैं। इस प्रकार जीएसटी हमें अपने कर आहार को विस्तृत करने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करता है और हमें इस अवसर को शुरु करने के लिए याद नहीं करना चाहिए जब परिस्थितियां काफी अनुकूल है और अर्थव्यवस्थ केवल हल्की मुद्रास्फीति के साथ स्थिर वृद्धि का आनद ले रही है। इसके उपरांत नितिन कुमार 2014, ने अपने शोध अध्ययन '' वस्तु एवं सेवा कर आगे की ओर उन्मुख'' में निष्कर्ष के रुप में यह बताया कि भारत में जी एस टी के कार्यान्वयन को वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक विरुपण हटाने में मदद मिली है और अपेक्षकृत अप्रत्यक्ष कर ढ़ाँचे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

अध्ययन विधि

अध्ययन की विधि विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन सामग्री की प्राप्ति शोधग्रन्थों, संदर्भ ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों, आलेखों से की गई है तथा तथ्यों का विवेचन प्रामणिक ढंग से किया गया है।

जी० एस० टी० की मुख्य विशेषताएँ

- यह एक दोहरी जी० एस० टी० कर–प्रणाली है जिसमें केन्द्र एवं राज्य द्वारा समान कर आधार पर करारोपण होता है। प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्र द्वारा लगाई जाने वाली जी० एस० टी० कही जाती है जबकि उपरोक्त पर राज्य द्वारा लगाई जाने वाली एस० जी० एस० टी० होती है।
- यह एक गन्तव्य आधारित उपभोग कर है। वर्तमान में वस्तुओं के निर्माण, उनकी बिक्री तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के बिन्दु पर करदेयता है, जबकि इसके विपरीत जी० एस० टी० में वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर करदेयता होती है।
- यह मानवीय उपभोग हेतु शराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम अर्थात क्रुड, पेट्रोल, हाईस्पीड डीजल, नेचुरल गैस तथा ए० टी० एफ० को छोड़ कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर आरोपित कर होता है। यह कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर निरूपित है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव

वस्तु एवं सेवा कर ने उत्पादकों पर बोझ कम कर दिया है साथ ही अधिक उत्पादन के माध्यम से विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। वैट कर संरचना, असंख्य कर खंडों के पम्प निर्माताओं कों उनकी क्षमता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चेक पोस्ट, टोल प्लाजा और अयोग्य माल की ढुलाई संबंधित अनेक समस्याएं थी तथा स्टॉक और वेयरहाउसिंग लागत की उच्च आवश्यकताओं के कारण लागतों में बदल दिए जाते हैं। लेकिन एकल कराधान प्रणाली ने इस सड़क को खत्म कर दिया है। जीएसटी टैक्स बेस बढ़ाकर सरकार के राजस्व को बढा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत डीलरों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं तथा लेन देन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु सहायक है।

जी० एस० टी० से लाभ

- देशवासियों को जी० एस० टी० से सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरे देश में सामान पर एक ही टैक्स चुकाना पर रहा है। इससे देशभर में सामान की कीमत एक है। देश में वस्तु और सेवा कर के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों में एकरूपता है।
- जी० एस० टी० लागू होने से टैक्स संरचना में सुधार हुआ है। टैक्स भरना आसान हो गया है। इससे टैक्स की चोरी भी रूकेगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर रहा है।
- इस कर के लागू होने से चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, टर्नआवर टैक्स, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाला टैक्स, इत्यादि खत्म हो गया है।
- जी० एस० टी० लागू होने से वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आयी है।
- जी० एस० टी० लागू होने से कर चोरी में कमी आयी है।
- जी० एस० टी०, उद्योगों एवं ई–कॉमर्स के लिए निर्णायक साबित हो रही है।
- जी० एस० टी० से निश्चित राशि तक फायदा है।

चुनौतियाँ

देश में जी० एस० टी० लागू होने के बाद एक नई व्यवस्था चलने लगा है। जहाँ एक तरफ देश में जी० एस० टी० के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं तो दूसरी ओर कहीं व्यापारी विरोध, प्रदर्शन, भूख हड़ताल व बाजार भी बंद कर रहे हैं। जी० एस० टी० लागू होने के बाद कई सैक्टरों ने माल भेजना और मंगवाना बंद कर दिया है क्योंकि वे अभी जी० एस० टी० के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव बाजार पर पड़ रहा है। जी० एस० टी० के लिए सरकारी मशीनरी अभी तैयार नहीं है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के चलते कर्मचारियों को ट्रेनिंग कौन और कब देगा, इस पर बात होना बाकी है। वही जी० एस० टी० के कर चोरी पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट तंत्र नहीं है एवं इसके प्रभावों का सही आकलन करने में कठिनाइयाँ है। केन्द्र और राज्य के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर भी सवाल है। भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ लोगों के हितों में भी भारी विविधता है, इसलिए कोई इसका समर्थन कर रहे हैं तो कोई इसका विरोध। सरकार के सामने नोटबंदी से भी ज्यादा चुनौतियाँ जी० एस० टी० आ खड़ी है। जी० एस० टी० से देश के दिहाड़ी मजदूर भी प्रभावित हुए। देश की अधिक से अधिक आबादी को कर प्रणाली के अधीन लाने

और अधिक से अधिक एमएसएमई उद्योगों तक इसकी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई जी० एस० टी० से कर चुकाने का बोझ और उससे संबद्ध लागत भी बढ़ा है।

जी० एस० टी० क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदम तथा कार्य योजना

➢ मॉडल जी0एस0टी0 लॉ –

- केन्द्र एवं राज्य के कराधान अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से निर्मित मॉडल जी0एस0टी0 लॉ लोगों की टिप्पणी एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस मॉडल CGST/SGST में पच्चीस अध्याय, 162 धाराएं तथा चार अनुसूचियाँ हैं। इस प्रस्ताव में कराधान बिन्दु, करयोग्य व्यक्ति, आपूर्ति का समय, आपूर्ति का मूल्यांकन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्रावधान दिए गए हैं। यह विधि प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ साथ पंजीयन, रिटर्न दाखिला, कर निर्धारण, कर भुगतान, लेखाओं के रखरखाव, रकम वापसी, लेखापरीक्षा, माँग एवं आर्थिक दण्ड, अभियोजन, अपील एवं पुर्नविचार, एडवान्स रूलिंग तथा सधिकाल हेतु प्राविधान आदि भी स्वयं में समेटे हुए है।
- जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जा रहा है। थ्रेशहोल्ड लिमिट से अधिक टर्नओवर होने यथा दस लाख से अधिक टर्नओवर होने पर करदेयता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी प्रान्तीय संव्यवहारों पर CGST तथा SGST देय हो रहा है जबकि अर्न्तप्रान्तीय आपूर्ति पर IGST देय है। जिन संव्यवहारों में आपूर्तिकता तथा प्राप्तकर्ता का स्थान एक ही राज्य में है, वहाँ प्रान्तीय संव्यवहार है। जबकि इनके विभिन्न राज्य में स्थित होने पर ये अर्न्तप्रान्तीय ;IGST) के संव्यवहार है।
- प्रस्तावित IGST विधि ग्यारह अध्यायों में है जिसमें 33 धाराएं हैं। ड्राफ्ट में वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने हेतु विधियाँ हैं। जहाँ आपूर्ति में वस्तुओं का स्थानान्तरण होता है, वहाँ आपूर्ति का स्थान वह जगह होती है जहाँ प्राप्तकर्ता को देने हेतु संव्यवहार अन्तिम रूप से समाप्त होता है। जहाँ आपूर्ति में वस्तु का स्थानान्तरण नहीं होता है तो आपूर्ति का स्थान वह है जहाँ वस्तु की आपूर्ति प्राप्तकर्ता को दी गई हो। वस्तु को एकीकृत कर स्थापना करने अथवा किसी मशीन के किसी स्थान पर लगाकर देने पर आपूर्ति का स्थान स्थापना का स्थान किया गया है। किसी वाहन में यात्रा के दौरान वस्तु के स्थानान्तरण पर आपूर्ति का स्थान वह जगह है जहाँ माल चढाने/भरने हेतु लिया जाता है।
- सेवाओं की आपूर्ति के स्थान सम्बन्धी प्राविधान भी इस विधि में प्राविधानित है। कुछ निर्धारित अपवादों के अतिरिक्त यदि सेवा की आपूर्ति पंजीकृत व्यापारी को होती है तो प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यापारी का स्थान आपूर्ति का स्थान है। यदि अपंजीकृत का पता उपलब्ध न होने पर आपूर्ति का स्थान सेवा प्रदाता का पता होता है। मॉडल IGST लॉ में अपवाद नियमों, जो अचल सम्पत्ति, रेस्टोरेन्ट कैटरिंग, ट्रेनिंग, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं हेतु लागू होगे, का भी प्राविधान है।
- प्रस्तावित IGST विधि IGST की ITC के एक दूसरे में से भी लाभ लेने की व्यवस्था कर रही है। यदि IGST की क्रेडिट का लाभ CGST के भुगतान हेतु लिया जाता है तो

केन्द्र सरकार उतनी रकम IGST खाते से CGST खाते में स्थानान्तरित कर देगी। इसी प्रकार SGST में IGST से क्रेडिट लेने पर केन्द्र सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार के खाते में उतनी रकम स्थानान्तरित कर देगी। विधि में IGST में प्राप्त कर के केन्द्र तथा राज्य के बीच बंटवारे तथा प्राप्त राशियों के उनके बीच समायोजन का प्राविधान भी है। CGST विधि के अनेक प्राविधान यथा पंजीयन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, आडिट, निरीक्षण, जब्ती, अपील आदि IGST में भी उसी रूप में लागू है।

- माडल जी0 एस0 टी0 लॉ को तैयार करने में कुछ नीतिगत मुद्दों को ध्यान में रखा गया है जैसे कर कानूनों में स्पष्टता, प्रशासनिक सरलता, कर दाताओं हेतु सहयोगी होना तथा 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के विचार को बढ़ावा देना। विवादों के निपटारे हेतु एक स्पष्ट व्यवस्था का निर्माण किया गया है।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम भारत में हुए अब तक कर सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार है। वर्तमान समय में भारतवासियों के व्यापारिकों, उद्योगोपतियों व बुद्धिजीवियों में चिंता का विषय बना हुआ है कि भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर से नकारात्मक परिणाम ना आ जाये। जी० एस० टी० लागू होने से एक देश एक बाजार हो गया है। जिसमें अनावश्यक अप्रत्यक्ष करों में मुक्ति मिली है। देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है।

संदर्भ सूची

- Ehtisham Ahamad and Satya Poddar (2009), "Goods and Service Tax Reforms & Intergovernmental Consideration in India", "Asia Research Center",LSE, 2009
- Dr. R. Vasanthagopal (2011), "GST in India: A Big Leap in the Indirect Taxation System", International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, April, 2011.
- Pinki, Supriya Kamna, Richa Verma(2014), "Good and Service Tax – Panacea For Indirect Tax System In India", "Tactful Management Research Journal",Vol2, Issue 10, July, 2014.
- Nitin Kumar (2014), "Goods and Service Tax in India-A Way Forward", "Global Journal of Multidisciplinary Studies", Vol 3, Issued, May 2014.
- Agogo Mawuli (2014): "Goods and Service Tax- An Appraisal"Paper presented at the the PNG Taxation Research and Review Symposium, Holiday Inn, Port Moresby, 29-30.
- wwww.taxguru.in/goods-and-service-tax/goods-service-tax-gst-2.html
- प्रजापति, जयप्रकाश (2017), "लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवा कर : सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ", जे एम एम ई जर्नल, वोल्यूम 07, अंक 04, अक्टूबर 2017
- वाणिज्य कर विभाग, मध्यप्रदेश